

2665

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the 1-7-14

Sub :- Diversion of 0.3990 hectares of forest land in favour of I & PH Department for LWSS Baira Bhadrola, Hatli & Suranga in Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Sundernagar, Himachal Pradesh.

- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (सांरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB401/2013-CHA/149 दिनांक 18.06.14 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.3990 hectares वन भूमि को Ex-Engineer, I & PH, Sarkaghat Division, Distt. Mandi, H.P. को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।
- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - कम से कम पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 96 वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
 - प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार C-No. O.D.313 DPF Dhawal में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 1,46,930=00/- (एक लाख छयालिस हजार नौ सौ तीस मात्र) की राशि से कुल 0.798 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
 - एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
 - परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जंगल जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
 - वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
 - पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 11-48/2002- एफ.सी. दिनांक 29/30 अप्रैल 2005, 5-3 / 2007- एफ. सी. दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी सभी दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
 - यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 - मलवा का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन मण्डल अधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलव नहीं फेंका जाएगा।
 - उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

SIFCA

MCCF (FCA)

Ref

17

प्र.मु.अ.क. वि.म.
पावटी स. 989
दिनांक 3/7/14

Contd....2.

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Dated, Shimla-171001 the.. 1-7-14

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex. Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, P. Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Deputy Commissioner, Mandi, Himachal Pradesh.
5. CF, Mandi /DFO, Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
6. Ex-Engineer, I & PH, Sarkaghat Division, Distt. Mandi.
7. Guard File.

(Prakash Nand)

Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

0177-2628481, 9418455573